न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 22/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 17.2.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बजरंगलाल उर्फ बजरंगसिंह पुत्र स्व.मोतीलाल जाति धोला निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी।
2. प्रेम पत्नी यादव सिंह पुत्री स्व.मोतीलाल जाति धोला निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल निवासी भूरिया गणेश जी की गली रेतवाली टिपटा, कोटा।
3. सोभाग पत्नी रमेश सिंह पुत्री स्व.मोतीलाल जाति धोला निवासी ग्राम पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल निवासी भूरिया गणेश जी की गली रेतवाली टिपटा, कोटा (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री भगवती बल्लभ शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन असांरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 67/प्रार्थना पत्र/17 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी बनाम स्व0 मोतीलाल आ0 जगन्नाथ जाति धोला नि0 पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा (मृतक जरिये काय मुकाम)– बजंरगलाल वल्द मोतीलाल, प्रेम,सोभाग पुत्रियां मोतीलाल कौम धोला निवासी पीपल्दा हाडो का तहसील तालेडा मे पारित निर्णय दिनांक 10.6.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर स्व0 मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला निवासी पीपल्दा हाडों का को किया गया आवंटन खसरा संख्या 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम पीपल्दा हाडों का दिनांक 10.10.77 को निरस्त करने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.6.2019 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन को अस्तित्व मे रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होना मानते आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि निर्णय जेरअपील खिलाफ कानून एंव

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलांट के पिता स्व0 मोतीलाल जी एंव उनके बाद अपीलांट ने आवंटन होने के पश्चात लगातार काश्त की है। बच्चो की पढाई लिखाई हेतु अपीलांट गांव छोड कर 4–5 किलोमीटर तालेडा गांव मे तहसील के पास मकान बनाकर निवास करना प्रारम्भ कर दिया तथा सिलाई का धन्धा प्रारम्भ किया। अपीलार्थी का बडा लडका राजेन्द्र सिंह तालेडा बाजार मे हनुमानजी के मंदिर के पास आर0के0टेलर की दुकान लगाता है। जिसका गांव वालो से जाने जाने वालो से हमेशा सम्पर्क रहा है। अपीलांट को सूचना एवं जवाबदेही का मौका दिये वगेर बिना प्रतिस्थापित विधि से नोटिस की तामील के केवल मात्र कार्यालय मे बैठ पडौसी काश्तकार जीवन सिंह एवं उनके पुत्रों के दबाव व प्रभाव मे झूंठी मनगढंत रिपोर्ट अपीलांट व उसके परिवार के अता पता नही होने की रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय सुनवाई कर बिना आवंटन पत्रावली का अवलोकन किये नेचुरल जस्टीस का उल्लधंन कर निर्णय जेरअपील पारित है जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व कानूनी प्रावधान 14(1) भू आवंटन नियम 1970 के विपरीत 14(4) के तहत झूंठी सारहीन, मेलाफाईडली तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आवंटन नैचुरल जस्टिस के खिलाफ खारिज किया है। अपीलांट के पिता ने आवंटन के बाद विवादित सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की है समस्त राशियां जमा करा दी थी तथा आवटन से पूर्व कोई जानकारी नहीं छुपाई है। हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर आवंटन निरस्त होने की पुख्ता जानकारी दिनांक 20.11.2019 को मिलने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः डिले सद्भाविक होने से कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 10.6.2019 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दंर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला निवासी पीपल्दा हाडों का को पात्र मानते हुये खसरा संख्या 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 10.10.77 को भूमि का आवंटन किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 37 वर्ष बाद रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियिम 14(4) के आधार पर निरस्त करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की तामील मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि अपीलांट के पिता स्व0 मोतीलाल जी एंव उनके बाद अपीलांट ने आवंटन होने के पश्चात लगातार काश्त की है। बच्चो की पढाई लिखाई हेतु अपीलांट गांव छोड कर 4–5 किलोमीटर तालेडा गांव मे तहसील के पास मकान बनाकर निवास करना प्रारम्भ कर दिया तथा सिलाई का धन्धा प्रारम्भ किया। बडा लडका राजेन्द्र सिंह तालेडा बाजार मे हनुमानजी के मंदिर के पास आर0के0टेलर की दुकान लगाता है। जिसका गांव वालो से जाने जाने वालो से हमेशा सम्पर्क रहा है। तथा ग्राम तालेडा का राशनकार्ड तथा वोटर आईडी जारी किया हुआ है। अपीलांट को सूचना एवं जवाबदेही का मौका दिये वगेर बिना प्रतिस्थापित विधि से नोटिस की तामील के के केवल मात्र कार्यालय मे बैठ पडौसी काश्तकार जीवन सिंह एवं उनके पुत्रों के दबाव व प्रभाव मे झूंठी मनगढंत रिपोर्ट अपीलांट व उसके परिवार के अता पता नही होने की तैयार की गई जिसके आधार पर एक पक्षीय सुनवाई कर बिना आवंटन पत्रावली का अवलोकन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

किये नेचुरल जस्टीस का उल्लधंन कर निर्णय किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व कानूनी प्रावधान 14(1) भू आवंटन नियम 1970 के विपरीत 14(4) के तहत झूंठी सारहीन, मेलाफाईडंली तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर नैचुरल जस्टिस के खिलाफ आवंटन को खारिज किया है क्योंकि नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सिमित आधार है। प्राईवेट व्यक्ति यदि आवंटन के संबध मे कोई शिकायत करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि उक्त आवंटित भूमि मे उसका हित किस प्रकार निहित है व आवंटन तथ्य छुपाकर या गलत तरीके से तो नही करवाया गया। अपने कथन के समर्थन मे 2016 (4) डीएनजे पेज 1793, आरआरडी 2017 पेज 322 आरआरडी 2018 पेज 492, आरबीजे 2011 पेज 418 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बह समे बताया कि रेस्पोडेन्ट कम–1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे बताया कि आंवटित भूमि पर आवंटी एंव उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी फौत हो चुका है तथा उसके वारिस इस गांव मे निवासरत नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति बृजराज सिंह, गजराज सिंह वगेरा का कब्जा काश्त है। आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो का उल्लधंन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से प्रार्थना पत्र जेरअपील निर्णय दिनांक 10.6.2019 से स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला को भूमि ख0 सं0 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा हाडों का को किया गया आवंटन एतद् द्वारा निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण कर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे वर्णित किया है कि जेरअपील अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है। रेस्पो0 कम–1 द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने पर उसके द्वारा न्यायालय से आवंटन निरस्त कर दिये जाने की कहने पर जानकारी होने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत गई। ऐसी स्थिति मे डिले सद्भाविक होने से कन्डोन किया जावे। रेस्पो0 कम–1 द्वारा अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.10.77 को मोतीलाल आ0 जगन्नाथ कौम धोला को भूमि ख0 नं0 506/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम पीपल्दा हाडों का, को भूमि का आवंटन गया था। रेस्पो0 तहसीलदार तालेडा द्वारा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से आवंटन को अस्तित्व मे रखे जाने का कोई औचित्य नही होने से आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) अधीनस्थ न्यायालय मे

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से स्वीकार कर मोतीलाल को दिनांक 10.10.1977 को हुये आवंटन को निर्णय दिनांक 10.6.2019 से निरस्त कर दिया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त रहा है। आवंटी मोतीलाल बच्चो की पढाई लिखाई हेतु गांव छोड कर 4–5 किलोमीटर तालेडा गांव मे तहसील के पास मकान बनाकर रहने लगा तथा सिलाई का धन्धा प्रारम्भ किया। आवंटी मोतीलाल फौत हो चुका है बडा लडका राजेन्द्र सिंह तालेडा बाजार मे हनुमानजी के मंदिर के पास आर0के0टेलर की दुकान लगाता है। जिसका गांव वालो से जाने जाने वालो से हमेशा सम्पर्क रहा है। तथा ग्राम तालेडा का राशनकार्ड तथा वोटर आईडी जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगेर प्रतिस्थापित विधि से नोटिस की तामील कराये केवल मात्र कार्यालय मे बैठ पडौसी काश्तकार जीवन सिंह एवं उनके पुत्रों के दबाव व प्रभाव मे झूंठी मनगढंत रिपोर्ट अपीलांट व उसके परिवार के अता–पता नही होने की तैयार की गई जिसके आधार पर एक पक्षीय सुनवाई कर बिना आवंटन पत्रावली का अवलोकन किये नेचुरल जस्टीस का उल्लधंन कर निर्णय किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन मे 2016 (4) डीएनजे पेज 1793, आरआरडी 2017 पेज 322 आरआरडी 2018 पेज 492, आरबीजे 2011 पेज 418 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, जेरअपील निर्णय एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित न्यायिक नजीरों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि आवंटन आदेश दिनांक 10.10.77 का है। प्रार्थना पत्र नियम 14(4) नियम 1970 आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा लगभग 37 वर्ष बाद वर्ष 2016 मे पेश की गई। किसी भी आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जानी चाहिये। 37 वर्ष बाद यह कहना कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से आवंटन को अस्तित्व मे रखे जाने का कोई औचित्य नही है न्यायोचित नही है। क्योंकि (नियम 18 मे 10 वर्ष बाद) नियम 18 मे हुये संशोधन के अनुसार आवंटी तीन वर्ष पश्चात स्वतः ही खातेदार हो जाता है। उक्त कार्य करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियों का है। जहां तक भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही रहने का प्रश्न है वर्ष 1999 मे नियमों मे संशोधन करते हुये काश्त की शर्त को हटा दिया गया है उक्त कथन की पुष्टि माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने 2008 आरआरटी (1) पेज 610 से होती है। हमारी राय मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है अथवा नहीं की गई, इस तथ्य की जांच किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होना, प्रतीत होता है। जिला कलक्टर बूंदी का निर्णय एक पक्षीय होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है, क्योंकि आवंटी के वारिसान को सुना जाकर भूमि पर आवंटी के कब्जे काश्त की जानकारी तथा आंवटन शर्तो की पालना की गई है अथवा नही की जांच किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। जिला कलक्टर ने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की है, जबकि अपील मे प्रस्तुत राशन कार्ड की छाया प्रति तथा वोटर आई.डी. से आवंटी स्व0 मोतीलाल के वारिसान का ग्राम तालेडा मे निवासरत होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे आवंटी के वारिसान को बिना सुने जमीन से बेदखल करने से न्याय के साथ कुठाराघात होगा जैसा कि आरआरडी 1993 पेज 516 मे प्रतिपादित किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 234–236 मे प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन तिथी को अतिक्रमियों के कब्जे के आधार पर आंवटी के आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों एंव न्यायिक नजीरों के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 10.6.2019

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पूर्ण रूप से गलत, अनुचित, खिलाफ कानून दिया गया निर्णय है। जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता।

8. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.6.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर बूंदी को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करें कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है अथवा नही, संबधी जांच की जाकर पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा